

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/82/2019/2927

दिनांक: 16.09.2019

सेवा में,

Shri Ram Ratan Roy,
Joint General Manager (Credit Control),
M/s Electrosteel Castings Limited, G.K. Tower,
19 Camac Street, Kolkata-700017

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2019 जो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर को दिनांक 19.08.2019 को प्राप्त हुआ का सन्दर्भ देखें।

The information sought under the above said RTI application in respect of CESTAT Order No. 50132/2018 dated 08.01.2018 "Indian Hume Pipe Co. Ltd. Vs CCE, Jaipur II"

In the matter, desired information is as under:

- (a) CESTAT Order No. 50132/2018 dated 08.01.2018 "Indian Hume Pipe Co. Ltd. Vs CCE, Jaipur I" has not been accepted by the department and appeal has been preferred before Hon'ble High Court.
- (b) The relevant note sheet pages of review CESTAT Order are enclosed.
- (c) The desired information in the Para "C" of the RTI letter does not pertain to this office.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री बृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,



सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. वेब मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सहायक आयुक्त/ के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
मुनील कुमार वर्मा
जयपुर।